

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 804 / 331 दिनांक, मिर्जापुर, सितम्बर 24, 2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव

पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।

विषय: ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि० द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मिर्जापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे० आरक्षित व 0.101 हे० संरक्षित वन भूमि (46.879 हे० वन भूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 264 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित तीन वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर में प्रभावित 39.536 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस की कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात् कुल 88.748 हे० आरक्षित एवं 0.884 हे० संरक्षित कुल योग 89.632 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ पत्रसंख्या-8बी/यू०पी०/०४/९०/२०२०/एफ०सी०/८७५ दिनांक ८-९-२०२० तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-५५७/११-सी, दिनांक १०-९-२०२०.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण से सम्बन्धित उचित माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक ८बी/यू०पी०/०४/९०/२०२०/एफ०सी०/८७५ दिनांक ८-९-२०२० द्वारा आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है :-

| क्र०सं० | आपत्ति                                                            | उत्तर                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। | इस बिन्दु की सूचना कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                      |
| 2       | राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद द्वारा क्लीयरेंस संलग्न करें।            | प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस प्रपोजल राज्य वन्य जीव परिषद में विचाराधीन है। प्रस्तावक विभाग ने भारत सरकार के पत्र सं० एफ०एन० ११-३२७/२०१५ एफ०सी० दिनांक |

|   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                          | 11-327/2015 एफ0सी0 दिनांक 14-8-2015 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 विस्तृत गाइड लाइंस संलग्न कर अवगत कराया गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रपोजल और फारेस्ट प्रपोजल की प्रक्रिया एक साथ की जा सकती है। संलग्न है।                                      |
| 3 | वृक्षारोपण योग्य भूमि के सम्बन्ध में।                                    | कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 39.536 हे० वन भूमि के सापेक्ष दोगुने वन भूमि क्षेत्रफल 80.00 हे० हेतु वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न है।                                                                                             |
| 4 | वनीकरण हेतु चिन्हित भूमि में खेती किये जाने का उल्लेख किया गया है।       | कैमूर वन्य जीव प्रभाग में चिन्हित 80.00 हे० वन भूमि के कुछ भाग में अतिक्रमण तथा कुछ भाग में वृक्षारोपण की गयी है। इसलिए नया भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित कर उसका जी०पी०एस० टोपोशीट, के०एम०एल० फाइल तथा क्षतिपूर्क वनीकरण प्राक्कलन संलग्न है। |
| 5 | वाराणसी वन प्रभाग में चिन्हित वन भूमि पर पहले से वृक्षारोपण किया गया है। | इस बिन्दु की सूचना कैमूर वन्य जीव प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                              |

अतः प्रस्ताव की हार्ड कापी चार प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

संख्या— / समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।